

**श्री राजेश कुमार, माननीय स० वि० स० से प्राप्त गैर सरकारी संकल्प सं०-320/2024 से उद्भूत
आश्वासन सं०-1630/24 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन :-**

गैर सरकारी संकल्प	आश्वासन	कार्यान्वयन प्रतिवेदन
यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के बटाने मुख्य नहर (राईट कैनाल) के ग्राम दुलारे में जर्जर एवं टूटे हुए बाँध का निर्माण करावें।	सरकारी आश्वासन यह बटाने योजना जो है, यह अंतर्राज्यीय योजना है। झारखंड में ही मुख्य समस्या है कि वहाँ पर नहरें टूटी हुई हैं, जिसके कारण पानी कम आता है। लेकिन बिहार भाग जो है खासकर ग्राम दुलारे की जो बात राजेश जी ने की है, हमें तो विभाग ने बताया है कि कुछ स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं लेकिन हमने निदेश दिया है हमारे अधिकारी आपसे संपर्क करके उसका मरम्मत करा देंगे।	बटाने जलाशय योजना एक अंतर्राज्यीय सिंचाई योजना है, जिसमें डैम एवं बराज झारखण्ड राज्य में निर्मित है। बराज से बटाने दायाँ एवं बायाँ मुख्य नहर निकलती है। बटाने दायाँ मुख्य नहर की लम्बाई 31.46 कि०मी० है। बटाने दायाँ मुख्य नहर के 0.00 कि०मी० से 13.84 कि०मी० झारखण्ड राज्य में अवस्थित है एवं 13.84 कि०मी० से 31.46 कि०मी० बिहार राज्य में अवस्थित है। इस नहर में 0.00 कि०मी० से 6.40 कि०मी० तक ही जलश्राव प्रवाहित हो पाता है, जो झारखण्ड राज्य में पड़ता है। गौरतलब है कि इस नहर के 9.60 कि०मी० पर भी एक्वाडक्ट का विंगवाल क्षतिग्रस्त रहने के कारण विगत कई वर्षों से इसके आगे जलश्राव नहीं उपलब्ध हो सका है। बिहार राज्य के देव प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम दुलारे के समीप बने सप्ताही चेक डैम से दुलारे गाँव के किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता है। ग्राम-दुलारे के पास ग्रामीणों के द्वारा बटाने दायाँ मुख्य नहर के दाया बाँध को काटकर नहर को बाँधकर सप्ताही चेक डैम का पानी ले जाया जाता है। जिससे इस ग्राम में किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो पाता है। झारखण्ड भू-भाग में निर्मित नहर का पुनर्स्थापन कार्य कराये जाने के पश्चात ही दुलारे ग्राम के समीप बटाने दायाँ मुख्य नहर के कि०मी० 14.50 पर कोई कार्य कराया जाना श्रेयस्कर/उपयोगी होगा। मानसून अवधि में बिहार राज्य अवस्थित पहाड़ों से वर्षा का अप्रत्याशित पानी आ जाने के कारण औरंगाबाद जिले के दुलारे ग्राम के पास बटाने दायाँ मुख्य नहर सामान्यतः क्षतिग्रस्त हो जाता है। जिसका लाभ लेते हुए इस पानी को नहर में संचयित कर आस-पास के ग्रामीण सिंचाई कार्य करते हैं। उक्त प्रतिवेदन स्थल निरीक्षण एवं श्री राजेश कुमार, माननीय स० वि० स० से संपर्क स्थापित करने के उपरान्त तैयार किया गया है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-03-15/2024

पटना/दिनांक

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक-488 दिनांक-19.03.2025 के आलोक में गै0स0सं0-320/2024 से उद्भूत आश्वासन सं0-1630/24 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-03-15/2024

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-03-15/2024

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल-03, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-03-15/2024 5071

पटना/दिनांक : 02/9/2026

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

119126

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव